कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

Email ID: bastar.dpo 84@ gmail.com **Phon No.07782-222827**

"विज्ञापन"

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र हेतु पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन

भारत शासन महिला बाल विकास विभाग के अधीन गठिन राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत जिले में महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य महिला मिशन सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण के अधीन राज्य में महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं की मॉनीटरिंग, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र में निम्नलिखित पदों पर संविदा भर्ती के लिए पात्र आवेदको से दिनांक 21/06/2018 तक आवेदन आमंत्रित है। पदों एवं आवेदन पकिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पदनाम	पद संख्या	संविदा वेतन	चयन प्रकिया	अधिकतम आयु सीमा
1	महिला कल्याण अधिकारी	1 अनारक्षित	35000	संविदा	35 वर्ष
2	जिला समन्वयक	2 अनारक्षित	20000	संविदा	35 वर्ष

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छुट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे।

विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र डाक/रजिस्टर द्वारा दिनांक 21/06/2018 की संध्या 05:00 बजे तक पता कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, (कलेक्टर संयुक्त कार्यालय) जगदलपुर में प्रेषित किया जावें।

K. 5/6/18

कलेक्टर,

जिला-बस्तर

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति प्रांरभिक रूप से 02 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।
2. सविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नही होगी। सेवा समाप्ति के बाद सेवा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नही होगी।
3. संविदा पर की गई नियुक्त पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्ति की जा सकती है।
4. अभ्यर्थी को स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है, आयु की गणना 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की जायेगी।
6. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविधालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिये।
7. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किये जावे। अवेदन के साथ स्वप्रमाणित/सत्यापित वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची संलग्न किया जाना होगा।
8. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंर्तराष्ट्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नही दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
11. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिये।
12. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नही होगा।
13. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नही किये जायेंगे । आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।

14. उपरोक्त पदों पर चयन की पकि्या निम्नानुसार रहेगी :-

1. महिला कल्याण अधिकारी	• मानव एवं समाज विज्ञान/सामाज कार्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर के साथ महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं/कार्यकमों का पर्याप्त ज्ञान । • महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान व विकास के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव • कम्प्यूटर का ज्ञान जिसमें एम0 एस0 आफिस एवं कम्प्यूटर टायपिंग का ज्ञान	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये अधिकतम 50 अंक। • न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20 अंक तक • लिखित परीक्षा/समुह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 30 अंक निर्धारित रहेंगे।
2. जिला समन्वयक	• मानव एवं समाज विज्ञान/सामाज कार्य क्षेत्र में स्नातक के साथ महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं /कार्यकमों का पर्याप्त ज्ञान । • महिलाओं से संबंधित कार्यो में 03 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर का ज्ञान जिसमें एम0 एस0 आफिस एवं कम्प्यूटर टायपिंग का ज्ञान	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रशित पर 100 अंको का Weightage देते हुये अधिकतम 50 अंक। • न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20 अंक तक • लिखित परीक्षा/समुह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 30 अंक निर्धारित रहेंगे।

उल्लेखित पद के लिए अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर मेरिट के आधार पर एक पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जावेगा।

15. प्राप्त आवेदनों के संबंध में कलेक्टर जिला-बस्तर जगदलपुर का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

16. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईड www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है ।

17. आवेदक का आवेदन दिनांक 21/06/2018 को सायं 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए । इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

कलेक्टर, 5/6/18
जिला-बस्तर